



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938

No. 145]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

**सा.का.नि. 178(अ).**—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित और धारा 124 की उपधारा (6) और धारा 125 की उपधारा (1) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10) और उपधारा (11) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) संशोधन नियम, 2017 है।  
(2) ये नियम तारीख 28 फरवरी, 2017 से प्रवृत्त होंगे।
- विनिधानकर्ता शिक्षा एवं संरक्षा कोष प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और वापसी) नियम, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 के उपनियम (1) में उपनियम (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:

(घ) “कंपनी” से अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (20) में परिभाषित ऐसी कंपनी अभिप्रेत है और इसमें बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 2 की उपधारा (घ) और बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 2 के खंड (ख) में यथापरिभाषित “सदृश नए बैंक” और भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) की धारा 2 के खंड (ट) में यथापरिभाषित ‘अनुषंगी बैंक’ शामिल हैं।

(घक) “कारपोरेट कार्रवाई” से कंपनी द्वारा प्राधिकरण को राइट्स इश्यू को छोड़कर बोनस शेयर, विभाजन, समेकन, फ्रैक्शन शेयर आदि के अंतरण के संबंध में की गई कोई कार्रवाई और ऐसे शेयरों पर प्राप्त सभी लाभ अभिप्रेत हैं;

3. मूल नियम के नियम 3 के उपनियम (2) के खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:
- ‘(छ) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10ख की उपधारा (3), बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 10ख और भारतीय स्टेट बैंक (अनुपंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 40क में यथाउल्लिखित सभी देय राशियां; और’
4. मूल नियमों के नियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- “6. धारा 124 की उपधारा (6) के अधीन निधि में शेयरों के अंतरण की रीति –
- (1) इन शेयरों को प्राधिकरण के डीमैट खाते में, जिसे उक्त प्रयोजन के लिए अधिकरण द्वारा कोष में अंतरण के लिए देय होने के 30 दिनों के भीतर खोला जाएगा जमा किया जाएगा:
- परंतु कि, यदि हिताधिकारी स्वामी ने पिछले सात वर्षों के दौरान किसी लाभांश अधिपत्रों को भुनाया है तो ऐसे शेयरों को, कुछ लाभांश अधिपत्रों को भुनाने के लिए शेष होने के बावजूद भी कोष में अंतरित करने की आवश्यकता नहीं होगी:
- परंतु यह और कि धारा 124 की उपधारा (5) के अधीन उल्लिखित सात वर्षों की अवधि पूर्ण हो गई हो या 7 सितंबर, 2016 से 31 मई, 2017 के अवधि के दौरान ये सात वर्ष पूरे हो रहे हों तो तारीख 31 मई, 2017 को इन शेयरों के अंतरण की देय तारीख माना जाएगा।
- (2) इन शेयरों के अंतरण के प्रयोजनार्थ बोर्ड कंपनी सचिव या किसी अन्य व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत करेगा।
- (3) शेयरों के अंतरण के समय कंपनी निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुपालन करेगी, अर्थात्:-
- (क) कंपनी शेयरों के अंतरण की देय तारीख के तीन मास पूर्व संबंधित शेयरधारक को उनके वर्तमान उपलब्ध पते पर शेयरों के अंतरण के संबंध में सूचित करेगी और साथ ही व्यापक परिचालन वाले अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के मुख्य समाचार पत्र में एक साथ सूचना प्रकाशित करेगी जिसमें उनके वेबसाइट पते का उल्लेख होगा और संबंधित शेयरधारक को यह सूचना दी जाएगी कि शेयरधारकों के नाम और उनके फोलियों संख्या या डीपीआईडी – ग्राहक पहचान पत्र आदि उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
- (ख) यदि न्यायालय या अधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का ऐसे शेयर का अंतरण रोकने का विनिर्दिष्ट आदेश हो और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अधीन लाभांश या शेयरों के संदाय को गिरवी या बंधक रखा गया हो या उपरोक्त उपनियम (1) के अधीन शेयरों को पहले से ही अंतरित कर दिया गया हो तो, कंपनी इन शेयरों को निधि में अंतरित नहीं करेगी:
- परंतु कंपनी वित्तीय वर्ष पूरे होने के 30 दिनों के भीतर प्ररूप सं. आईईपीएफ – 3 में प्राधिकरण को इन शेयरों और संदत्त लाभांशों का ब्यौरा प्रस्तुत करेगी।
- (ग) अंतरण के प्रयोजनार्थ, यदि शेयरों में निक्षेपागार में ब्यौहार किया जाता तो है -
- (i) प्राधिकरण में अंतरण के लिए शेयरधारकों का खाता हो, तो कंपनी निक्षेपागार को कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से सूचना देगी।
- (ii) ऐसी सूचना की प्राप्ति के पश्चात् निक्षेपागार प्राधिकरण के डीमैट खाते में शेयरों का अंतरण करेगा।
- (घ) जहां शेयर भौतिक रूप में रखे गए हों तो उनके अंतरण के प्रयोजनार्थ –
- (i) कंपनी सचिव या बोर्ड द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति संबंधित शेयरधारकों की ओर से कंपनी को अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का आवेदन करेगा;
- (ii) खंड (क) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर प्रत्येक शेयरधारक के लिए अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उस पर यह लिखा जाएगा और इस उद्देश्य के लिए रजिस्टर में रिकार्ड किया जाएगा, कि अनुलिपि प्रमाणपत्र को “आईईपीएफ में अंतरण के उद्देश्य से शेयर प्रमाणपत्र सं. .... के लिए जारी किया गया है” और “अनुलिपि” शब्द पर मुहर लगाई जाएगी या शेयर प्रमाणपत्र के प्रथम पृष्ठ पर बड़े अक्षरों में टंकित किया जाएगा।

(iii) उपरोक्त अनुसार जारी किए गए प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र के ब्यौरे कंपनी (शेयरपूंजी और डिबेंचर) नियम, 2014 में निर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार नए और अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र रजिस्टर में प्ररूप सं. एसएच-2 में रखे जाएंगे।

(iv) अनुलिपि प्रमाणपत्र जारी होने के पश्चात् कंपनी निक्षेपागार को कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से अनुलिपि शेयर प्रमाणपत्र को डीमैट प्रारूप में बदलने और प्राधिकरण में अंतरण के लिए सूचित करेगी।

- (4) कंपनी कारपोरेट कार्रवाई के माध्यम से ऐसे अंतरण करेगी और अपने अभिलेख के लिए उसकी प्रति संरक्षित रखेगी।
- (5) इस प्रकार का अंतरण करते समय कंपनी प्ररूप सं. आईईपीएफ - 4 में निधि को विवरण भेजेगी जिसमें अंतरण के ब्यौरे होंगे।
- (6) निधि को अंतरित शेयरों पर मतदान का अधिकार तब तक शिथिल रहेगा जब तक इसके सही स्वामी इन शेयरों का दावा न करें:

परंतु भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (शेयरों का महत्वपूर्ण अधिग्रहण और अर्जन) विनियमन, 2011 के उद्देश्य के लिए ऐसे शेयर जिन्हें प्राधिकरण को अंतरित नहीं किया गया है, को कुल मतदान अधिकार की गणना के समय गणना से बाहर नहीं रखा जाएगा।

(7) कंपनी उस प्रत्येक शेयरधारक के शेयरधारण का विवरण रखेगी जिनके शेयर प्राधिकरण के डीमैट खाते में जमा किए गए हैं।

(8) राइट्स इश्यू को छोड़कर ऐसे शेयरों से प्राप्त लाभ जैसे बोनस शेयर, विभाजन, समेकन, शेयरों का अंश आदि भी ऐसे डीमैट अकाउंट में जमा कर दिए जाएंगे।

(9) ऐसे डीमैट खाते में रखे गए शेयरों का दावेदार को, जब वह प्राधिकरण से आवेदन करे, वापस अंतरण करने या उप नियम (10) और (11) के अनुसरण में विहित को छोड़कर अन्य किसी रीति से अंतरण या निपटान किया जाएगा।

(10) यदि कंपनी को असूचीबद्ध किया है तो प्राधिकरण भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (साम्य शेयर का असूचीकरण) विनियम, 2009 के अनुसरण में शेयरधारकों की ओर से शेयर लौटा देगा और प्राप्त आय निधि में जमा की जाएगी तथा ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

(11) यदि ऐसी कंपनी, जिसके शेयर और प्रतिभूतियां प्राधिकरण के द्वारा धृत हैं, का समापन किया जा रहा है तो प्राधिकरण प्रतिभूति धारक की ओर से हकदार राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतियों को लौटाएगा और राशि को निधि में जमा करवाएगा तथा ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

(12) ऐसे शेयरों पर प्राप्त कोई अन्य लाभांश निधि में जमा करवाया जाएगा और ऐसी प्राप्तियों के लिए एक पृथक खाता रखा जाएगा।

5. मूल नियमों में, नियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“7. निधि से दावाकर्ताओं को प्रतिदाय” :-

(1) कोई व्यक्ति, जिसके शेयर, अदावाकृत लाभांश, परिपक्व जमा, परिपक्व डिबेंचर वापस लौटाने के लिए आवेदन राशि, या उस पर ब्याज, फंक्शनल शेयरों की बिक्री से प्राप्तियां, अधिमानी शेयरों के मोचन से प्राप्तियां आदि निधि में अंतरित कर दी गई हैं तो वह धारा 124 की उपधारा (6) के परंतुक के अधीन शेयरों का दावा कर सकता है या केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क सहित वेबसाइट [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) पर उपलब्ध प्ररूप आईईपीएफ-5 में ऑनलाइन आवेदन जमा करके प्राधिकरण से यथास्थिति धारा 125 की उपधारा (3) के खंड (क) या धारा 125 की उपधारा (3) के परंतुक, के अधीन राशि लौटाने के लिए आवेदन कर सकता है।

(2) दावेदार नियम (1) के अधीन प्ररूप आईईपीएफ-5 में आवेदन करने के बाद प्ररूप आईईपीएफ-5 में बताए गए अपेक्षित दस्तावेजों सहित स्वयं द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित आवेदन को अपने दावे के सत्यापन के लिए संबंधित कंपनी को उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में भेजेगा।

(3) कंपनी दावा प्ररूप की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर दावेदार द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों सहित प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में प्राधिकरण को एक सत्यापन रिपोर्ट भेजेगी।

(4) दावेदार की पात्रता के सत्यापन के पश्चात् –

- (क) दावा की गई राशि के लिए, प्राधिकरण और फिर प्राधिकरण का आहरण और वितरण अधिकारी दिशानिर्देशों के अनुसार ई-भुगतान के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय को एक बीजक भेजेंगे।  
 (ख) दावा किए गए शेयरों के लिए, प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से एक प्रतिदाय अनुमोदन आदेश जारी करेगा और दावेदार की पात्रता के अनुसार दावेदार के डीमैट खाते में शेयर जमा करेगा।

(5) प्राधिकरण, अपने अभिलेखों में, उप-नियम (4) के अधीन किए गए सभी भुगतानों पर एक टिप्पणी लिखेगा।

(6) इस नियम के अधीन संबंधित कंपनी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित किसी दावे के प्रतिदाय के लिए प्राप्त किसी आवेदन का निपटान प्राधिकरण द्वारा कंपनी से सभी प्रकार से पूर्ण सत्यापन रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर किया जाएगा और साठ दिन से अधिक की किसी देरी के लिए कारणों का लिखित में उल्लेख करते हुए अभिलिखित किया जाएगा और उसके बारे में लिखित या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा दावेदार को सूचित किया जाएगा।

(7) यदि आवेदन अपूर्ण है या अनुमोदित नहीं किया गया है तो प्राधिकारी द्वारा आवेदन की कमियों का विवरण देते हुए दावेदार और संबंधित कंपनी को एक संसूचना भेजी जाएगी।

(8) यदि दावेदार रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक का कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी या प्रशासक या नामित व्यक्ति है तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि प्राधिकारी के पास कोई दावा फाइल करने से पूर्व कंपनी द्वारा संचरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है।

(9) यदि दावेदार किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत प्रतिभूति का कानूनी वारिस या उत्तराधिकारी या प्रशासक या नामित व्यक्ति है अथवा यदि शेयरों के अंतरण या संचरण का अनुरोध कंपनी द्वारा प्राधिकारी को शेयरों के अंतरण को रजिस्टर करने के लिए अपेक्षित सभी दस्तावेजों का सत्यापन करेगी और उक्त प्रतिभूति के लिए उसकी पात्रता बताते हुए दावेदार को एक पत्र भेजेगा और ऐसे दावेदार के दावे का सत्यापन करते हुए उस पत्र की एक प्रति प्राधिकरण को भेजेगा।

(10) दावेदार एक वित्तीय वर्ष में एक कंपनी के संबंध में केवल एक समेकित दावा ही फाइल कर सकता है।

(11) सभी परिस्थितियों, किसी विवाद या मुकद्दमे, जो सत्यापन रिपोर्ट में किसी विषमता या असंगति या असमानता के कारण या अन्यथा शुरू किया गया है, कंपनी प्राधिकरण को क्षतिपूर्ति देने की जिम्मेदार होगी, और प्राधिकरण जमा की गई सत्यापन रिपोर्ट आदि में किसी प्रकार की विसंगति के कारण किसी मुकद्दमे या शिकायत के लिए किसी देयता के लिए प्रतिभूतिधारक या कंपनी को क्षतिपूर्ति देने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

6. मूल नियमों में –

(i) प्ररूप आईईपीएफ 3 और आईईपीएफ 5 में, “बैंक” और “बैंक कारपोरेट पहचान संख्या (बीसीआईएन)” जहां-जहां भी शब्द आते हैं, का लोप किया जाएगा :

(ii) प्ररूप आईईपीएफ 6 में क्रम संख्या 5 में

“सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 6 का एसआरएन ..... (पहले से भरा हुआ)

सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 1 का एसआरएन ..... (पहले से भरा हुआ)”

के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् –

“सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 6 का एसआरएन ..... (पहले से भरा हुआ)

आईईपीएफ 1 के लिए एसआरएन की कुल संख्या ..... (पहले से भरा हुआ)

सुसंगत प्ररूप आईईपीएफ 1 का एसआरएन ..... (पहले से भरा हुआ)”

[फा. सं. 05/23/2016-आईईपीएफ]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में तारीख 05 सितंबर, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 854 असाधारण द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS****NOTIFICATION**New Delhi, the 28<sup>th</sup> February, 2017

**G.S.R. 178(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1), (2), (3), (4), (8), (9), (10) and (11) of section 125 and sub-section (6) of section 124 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, to amend the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, namely:-

1. (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Amendment Rules, 2017.  
(2) They shall come into force from the 28th February, 2017.
2. In the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, (hereinafter referred to as the Principal rules) in rule 2, in sub-rule (1), for sub-rule (d), the following shall be substituted, namely:
  - (d) “Company” means a company defined in sub-section (20) of section 2 of the Act and includes ‘corresponding new bank’ as defined in sub-section (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980) and ‘subsidiary bank’ as defined in clause (k) of section 2 of State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959 (38 of 1959);
  - (da) “Corporate action” means any action taken by the company relating to transfer of shares and all the benefits accruing on such shares namely, bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc., except right issue to the Authority;
3. In the principal rules, in rule 3, in sub-rule (2) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-
 

‘(g) all amounts payable as mentioned in sub-section (3) of section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and section 40A of the State Bank of India (Subsidiary Bank) Act, 1959; and’.
4. In the principal rules, for rule 6, the following rule shall be substituted, namely:-
 

“6. Manner of transfer of shares under sub-section (6) of section 124 to the Fund.- (1) The shares shall be credited to DEMAT Account of the Authority to be opened by the Authority for the said purpose, within a period of thirty days of such shares becoming due to be transferred to the Fund:

Provided that, in case the beneficial owner has encashed any dividend warrant during the last seven years, such shares shall not be required to be transferred to the Fund even though some dividend warrants may not have been encashed:

Provided further that in cases where the period of seven years provided under sub-section (5) of section 124 has been completed or being completed during the period from 7th September, 2016 to 31<sup>st</sup> May, 2017, the due date of transfer of such shares shall be deemed to be 31<sup>st</sup> May, 2017.

  - (2) For the purposes of effecting transfer of such shares, the Board shall authorise the Company Secretary or any other person to sign the necessary documents.
  - (3) The company shall follow the following procedure while transferring the shares, namely:-
    - (a) The company shall inform, at the latest available address, the shareholder concerned regarding transfer of shares three months before the due date of transfer of shares and also simultaneously publish a notice in the leading newspaper in English and regional language having wide circulation informing the concerned that the names of such shareholders and their folio number or DP ID - Client ID are available on their website duly mentioning the website address.

(b) In case, where there is a specific order of Court or Tribunal or statutory Authority restraining any transfer of such shares and payment of dividend or where such shares are pledged or hypothecated under the provisions of the Depositories Act, 1996 or shares already been transferred under sub-rule (1) above, the company shall not transfer such shares to the Fund:

Provided that the company shall furnish details of such shares and unpaid dividend to the Authority in Form No. IEPF 3 within thirty days from the end of financial year.

(c) For the purposes of effecting the transfer, where the shares are dealt with in a depository-

(i) the Company shall inform the depository by way of corporate action, where the shareholders have their accounts for transfer in favour of the Authority.

(ii) on receipt of such intimation, the depository shall effect the transfer of shares in favour of DEMAT account of the Authority.

(d) For the purposes of effecting the transfer where the shares are held in physical form-

(i) the Company Secretary or the person authorised by the Board shall make an application, on behalf of the concerned shareholders, to the company, for issue of duplicate share certificates;

(ii) on receipt of the application under clause (a), a duplicate certificate for each such shareholder shall be issued and it shall be stated on the face of it and be recorded in the register maintained for the purpose, that the duplicate certificate is “Issued in lieu of share certificate No..... for purpose of transfer to IEPF” and the word “duplicate” shall be stamped or punched in bold letters on the first page of the share certificate;

(iii) particulars of every share certificate issued as above shall be entered forthwith in a register of renewed and duplicate share certificates maintained in Form No. SH-2 as specified in the Companies (Share Capital and Debentures) Rules, 2014;

(iv) after issue of duplicate share certificates, the company shall inform the depository by way of corporate action to convert the duplicate share certificates into DEMAT form and transfer in favour of the Authority.

(4) The company shall make such transfers through corporate action and shall preserve copies for its records.

(5) While effecting such transfer, the company shall send a statement to the Authority in Form No. IEPF 4 containing details of such transfer.

(6) The voting rights on shares transferred to the Fund shall remain frozen until the rightful owner claims the shares:

Provided that for the purpose of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, the shares which have been transferred to the Authority shall not be excluded while calculating the total voting rights.

(7) The company shall maintain the details of shareholding of each individual shareholders whose shares have been credited to the DEMAT account of the Authority.

(8) All benefits accruing on such shares e.g., bonus shares, split, consolidation, fraction shares etc., except right issue shall also be credited to such DEMAT account.

(9) The shares held in such DEMAT account shall not be transferred or dealt with in any manner whatsoever except for the purposes of transferring the shares back to the claimant as and when he approaches the Authority or in accordance with sub-rule (10) and (11).

(10) If the company is getting delisted, the Authority shall surrender shares on behalf of the shareholders in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 and the proceeds realised shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.

- (11) In case the company whose shares or securities are held by the Authority is being wound up, the Authority may surrender the securities to receive the amount entitled on behalf of the security holder and credit the amount to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds.
- (12) Any further dividend received on such shares shall be credited to the Fund and a separate ledger account shall be maintained for such proceeds”.
5. In the principal rules, for rule 7, the following rule shall be substituted, namely:-
- “7. Refund to claimants from Fund.- (1) Any person whose shares, unclaimed dividend, matured deposits, matured debentures, application money due for refund, or interest thereon, sale proceeds of fractional shares, redemption proceeds of preference shares etc., has been transferred to the Fund, may claim the shares under proviso to sub-section (6) of section 124 or apply for refund under clause (a) of sub-section (3) of section 125 or under proviso to sub-section (3) of section 125, as the case may be, to the Authority by submitting an online application in Form IEPF-5 available on the website [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in) along with fee specified by the Authority from time to time in consultation with the Central Government.
- (2) The claimant shall after making an application in Form IEPF-5 under rule (1), send the same duly signed by him along with, requisite documents as enumerated in Form IEPF-5 to the concerned company at its registered office for verification of his claim.
- (3) The company shall, within fifteen days from the date of receipt of claim, send a verification report to the Authority in the format specified by the Authority along with all the documents submitted by the claimant.
- (4) After verification of the entitlement of the claimant-
- (a) to the amount claimed, the Authority and then Drawing and Disbursement Officer of the Authority shall present a bill to the Pay and Accounts Office for e- payment as per the guidelines,
- (b) to the shares claimed, the Authority shall issue a refund sanction order with the approval of the Competent Authority and shall credit the shares to the DEMAT account of the claimant to the extent of the claimant’s entitlement.
- (5) The Authority shall, in its records, cause a note to be made of all the payments made under sub-rule (4).
- (6) An application received for refund of any claim under this rule duly verified by the concerned company shall be disposed off by the Authority within sixty days from the date of receipt of the verification report from the company, complete in all respects and any delay beyond sixty days shall be recorded in writing specifying the reasons for the delay and the same shall be communicated to the claimant in writing or by electronic means.
- (7) In cases, where the application is incomplete or not approved, a communication shall be sent to the claimant and the concerned company by the Authority detailing deficiencies of the application.
- (8) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of the registered share holder, he has to ensure that the transmission process is completed by the company before filing any claim with the Authority.
- (9) In case, claimant is a legal heir or successor or administrator or nominee of any other registered security or in cases where request of transfer or transmission of shares is received after the transfer of shares by company to the Authority, the company shall verify all requisite documents required for registering transfer or transmission and shall issue letter to the claimant indicating his entitlement to the said security and furnish a copy of the same to the Authority while verifying the claim of such claimant.
- (10) The claimant shall file only one consolidated claim in respect of a company in a financial year.
- (11) The company shall be liable under all circumstances whatsoever to indemnify the Authority in case of any dispute or lawsuit that may be initiated due to any incongruity or inconsistency or disparity in the verification report or otherwise and the Authority shall not be liable to indemnify the security holder or Company for any liability arising out of any discrepancy in verification report submitted etc., leading to any litigation or complaint arising thereof.”.

6. In the principal rules, -

(i) in forms IEPF-3 and IEPF-5, the word “/bank” and “/Bank Corporate Identification Number (BCIN)” shall be omitted, wherever they are occurring;

(ii) in form IEPF -6, in serial number 5, for-

“SRN of relevant form IEPF-6

SRN of relevant form IEPF-1  

the following shall be substituted, namely:-

“SRN of relevant form IEPF-6

Total Number of SRNs for IEPF-1

SRN of relevant form IEPF-1  

[F. No. 05/23/2016-IEPF]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.

**Note :** The principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3, subsection (i) vide number GSR 854 (E), dated the 5<sup>th</sup> September, 2016.